उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या :– 601/VIII/2020–21(श्रम)/2017
देहरादूनः दिनांक : 03 जुलाई, 2020

अधिसूचना

चूँकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) नियमावली, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में संशोधन कर लाईसेंस नवीनीकरण की वर्तमान प्रक्रिया को आनलाईन प्रारूप पर आवेदन करने का प्राविधान किया जाए एवं व्यापार की सुगमता (Ease of Doing Business) के दृष्टिगत नवीनीकरण की जटिल प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए निर्धारित शुल्क व नियत तिथि से पूर्व आवेदन करने पर स्वतः नवीनीकरण का प्रावधान किया जाए,

और चूँकि, ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा–35 में राज्य सरकार में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति निहित है।

अतएव, अब राज्यपाल, ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा–35 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) नियमावली, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उक्त आशय का संशोधन करने का प्रस्ताव रखते हैं एवं ऐसे सभी व्यक्ति जिनको संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, से आक्षेप या सुझाव आमंत्रित हैं।

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिसूचना पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो तो, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से 21 दिनों की अवधि के भीतर श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी, नैनीताल को अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दें, जो समस्त आक्षेप/आपत्तियों को संकलित करके अपनी टिप्पणी के साथ शासन को उपलब्ध करायेंगे।

उक्त 21 दिनों की समयावधि के पश्चात कोई आक्षेप या सुझाव स्वीकार एवं विचार नहीं किए जाएंगे।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव

Scanned with CamScanner